



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 803/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस, 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 485/24 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 03 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे गये 5000 रुपये नगद, 01 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त दिल्ली से चोरी की गयी मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व तीन अवैध चाकू बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 24.09.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नितिश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-शाहरुख पुत्र रिजायुद्दीन निवासी मुस्तफाबाद कस्बा व थाना



लोनी जनपद गाजियाबाद, 2-फरमान पुत्र अहसान निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 3-सुभाष पुत्र कृष्णकान्त निवासी कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के द्वारा मै0 शिव शक्ति इण्डेन सेवा कस्बा बागपत के कार्यालय में घुसकर उससे चाकू के बल पर 5000 रुपये लूटकर भाग गये । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 803/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 29.05.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी महावीर एन्क्लेव थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति राहुल मोटर्स कस्बा बागपत के सामने से उसकी सोने की चैन छीनकर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 485/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरे/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस थाने के मु0अ0सं0 803/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 485/24 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे गये 5000 रुपये नगद, 01 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त दिल्ली से चोरी की गयी मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व तीन अवैध चाकू बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहरुख पुत्र रिजायुद्दीन निवासी मुस्तफाबाद कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-फरमान पुत्र अहसान निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-सुभाष पुत्र कृष्णकान्त निवासी कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

### बरामदगी का विवरण-

- 5000 रुपये नगद । ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 803/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत )
- 01 सोने की चैन । ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 485/24 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत )

- घटना में प्रयुक्त दिल्ली से चोरी की गयी मो०सा० हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट । ( सम्बन्धित मु०अ०सं० 10111/24 धारा 303(2) बीएनएस दिल्ली )
- तीन अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- है०का० 551 छत्रपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- का० 379 अखिलेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- का० 962 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 805/2024 धारा 74/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 805/2024 धारा 74/351(2) से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ उर्फ पटवारी पुत्र मनव्वर निवासी मौहल्ला माता कालौनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 12 धीरज थाना बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 25.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 219/24 धारा  
191(2)/191(3)/333/118(1) /109 बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया  
गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 भाला, 01 फरसा व 01 चाकू  
बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को  
थाना बालैनी पर वादिनी ने  
सूचना दी कि अभियुक्तों  
1.शुभम, 2.रितिक पुत्रगण  
दिनेश, 3.दिनेश, 4.अनुज,  
5.अंकुर पुत्र रामकुमार,  
6.विकास, 7.सन्नी पुत्रगण



धीर सिंह, 8.कपिल पुत्र राजबीर व 9.सैंकी पुत्र जसवीर निवासीगण ग्राम रंछाड थाना  
बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उसके  
दोनों भाईयों व पिता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उसके दोनों  
भाईयों व पिता को गम्भीर चोटें आयीं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना  
बिनौली पर मु0अ0सं0 219/24 धारा 191(2)/191(3)/333/118(1)/109 बीएनएस  
पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी  
हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0  
219/24 धारा 191(2)/191(3)/333/118(1)/109 बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को

गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 भाला, 01 फरसा व 01 चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विकास पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-कपिल पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-सैंकी पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-अंकुर पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त 01 भाला, 01 फरसा व 01 चाकू।

### गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर पुत्र रामकुमार का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 83/2024 धारा 147/148/149/324/352/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 219/24 धारा 191(2)/191(3)/333/118(1)/109 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री आलोक तोमर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 6-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 7-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 25.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 263/24 धारा 64/115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 263/24 धारा 64/333/115(2)/352/ 351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0/यू0टी0 ऋषिभान सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 1084 विकास थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 25.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

विशाल पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी मौ0 औरंगाबाद कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।
- 2-का 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 911 श्यामवीर थाना खेकडा ।